

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु  
पीठासीन अधिकारी श्री बिजेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या : 64 / 2025

दिनांक:- 12/08/2025

अनुवानी

राजस्थान सरकार


बनाम

दौलतराम

-: आदेश :-

तहसीलदार, चूरु द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक, शपथ-पत्र, परिशिष्ट-‘ए’ एवं अभिशंषा तहसीलदार, चूरु का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार रोही ग्राम रतननगर तहसील चूरु के खसरा नम्बर 327 में मौके पर रास्ता चालू है परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। सम्बन्धित पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू बताया है। साथ ही तहसीलदार, चूरु ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, चूरु को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है, तो रोही ग्राम रतननगर तहसील चूरु के खसरा नम्बर 327 में से मौके पर चालू रास्ते का संलग्न राजस्व नक्शे एवं परिशिष्ट-‘ए’ में वर्णितानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरांमद करावें एवं पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।

यह आदेश आज दिनांक 12.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

  
(बिजेन्द्र सिंह) RAS  
उपखण्ड अधिकारी, चूरु

